कार्यालय आख्या

श्रीमान जी,

प्रस्तुत जरवापसी प्रार्थना पत्र एम.ए.सी. सं0 – **388/2025** श्रीमती दयावती आदि बनाम कुन्दन सिंह आदि से सम्बन्धित है। उक्त एम.ए.सी. याचिका इस अधिकरण द्वारा दिनांक 09.05.2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में उभय पक्षों के मध्य सन्धि के आधार पर क्षतिपूर्ति धनराशि मु0 –11,50,000/-रू0 (ग्यारह लाख, पचास हजार रूपये) के लिये निर्णित की गयी है।

अधिकरण के निर्णय के अनुपालन में प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा निर्णित क्षतिपूर्ति की सम्पूर्ण धनराशि मु0 –11,50,000/-रू0 (ग्यारह लाख, पचास हजार रूपये) जरिये UTR NO – SBINR 1202605279318210 दिनांकित 27.05.2026 के द्वारा इण्डियन बैंक सिविल लाइन्स मुरादाबाद में अधिकरण के खाता सं0 – 8353326896 में अन्तरित किया गया है। उक्त अन्तरित धनराशि अधिकरण के बचत खाते में दिनांक 27.05.2026 को प्राप्त/प्रविष्टि है, जो खर्च से सुरक्षित है।

अधिकरण के आदेश के अनुसार जमा क्षतिपूर्ति सम्पूर्ण धनराशि मु0 –11,50,000/-रू0 (ग्यारह लाख, पचास हजार रूपये) में से याची को देय उसके अंश की धनराशि का वितरण निम्नवत है -

1. याची सं0 -1 श्रीमती दयावती, आयु 55 वर्ष को अंकन मु0 –9,00,000/-रू0 (नो लाख रूपये) में से 6,00,000/- (छः लाख रूपये) नकद भुगतान जरिये NEFT/RTGS के माध्यम से प्रदान किया जाये तथा 3,00,000/-रू0 (तीन लाख रूपये) एफ0डी0आर0 के रूप में तीन वर्ष के लिए निर्मित की जाये।
2. याची सं0 -2 नितिन कुमार, आयु 28 वर्ष को अंकन मु0 –2,50,000/-रू0 (दो लाख, पचास हजार रूपये) में से 1,50,000/-रू0 (एक लाख, पचास हजार रूपये) नकद भुगतान जरिये NEFT/RTGS के माध्यम से प्रदान किया जाये तथा 1,00,000/-रू0 (एक लाख रूपये) एफ0डी0आर0 के रूप में तीन वर्ष के लिए निर्मित की जाये।

पत्रावली पर माननीय उच्च न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नही है।

पत्रावली पर श्री नवीन कुमार गुप्ता, एडवोकेट का अभिभाषक पत्र संलग्न है।

प्रतिवेदन श्रीमान जी की सेवा में आदेशार्थ सादर समर्पित है।

सादर समर्पित

सहायक लेखाकार

आदेश

20.07.2026

एम.ए.सी. सं0 – **388/2025** दयावती आदि बनाम कुन्दन सिंह आदि में याची की ओर से जरवापसी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

कार्यालय आख्या का अवलोकन किया गया। कार्यालय आख्यां के अनुसार अधिकरण के निर्णय के अनुपालन में प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा निर्णित क्षतिपूर्ति की सम्पूर्ण धनराशि मु0 –11,50,000/-रू0 (ग्यारह लाख, पचास हजार रूपये) जरिये UTR NO – SBINR 1202605279318210 दिनांकित 27.05.2026 के द्वारा इण्डियन बैंक सिविल लाइन्स मुरादाबाद में अधिकरण के खाता सं0 – 8353326896 में अन्तरित किया गया है। उक्त अन्तरित धनराशि अधिकरण के बचत खाते में दिनांक 27.05.2026 को प्राप्त/प्रविष्टि है, जो खर्च से सुरक्षित है।

अधिकरण के आदेश के अनुसार जमा क्षतिपूर्ति सम्पूर्ण धनराशि मु0 –11,50,000/-रू0 (ग्यारह लाख, पचास हजार रूपये) में से याची को देय उसके अंश की धनराशि का वितरण निम्नवत है -

1. याची सं0 -1 श्रीमती दयावती, आयु 55 वर्ष को अंकन मु0 –9,00,000/-रू0 (नो लाख रूपये) में से 6,00,000/- (छः लाख रूपये) नकद भुगतान जरिये NEFT/RTGS के माध्यम से प्रदान किया जाये तथा 3,00,000/-रू0 (तीन लाख रूपये) एफ0डी0आर0 के रूप में तीन वर्ष के लिए निर्मित की जाये।
2. याची सं0 -2 नितिन कुमार, आयु 28 वर्ष को अंकन मु0 –2,50,000/-रू0 (दो लाख, पचास हजार रूपये) में से 1,50,000/-रू0 (एक लाख, पचास हजार रूपये) नकद भुगतान जरिये NEFT/RTGS के माध्यम से प्रदान किया जाये तथा 1,00,000/-रू0 (एक लाख रूपये) एफ0डी0आर0 के रूप में तीन वर्ष के लिए निर्मित की जाये।

पत्रावली पर माननीय उच्च न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नही है।

बैंक ब्याज याची सं0 -1 को नकद के साथ दिया जाये।

तदानुसार जरवापसी प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

नोटः- सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक एफ.डी.आर निर्मित करते समय एफ.डी.आर पर एम.ए.सी. वाद संख्या / नाम पक्षकार एंव निर्णय की तिथि 09.05.2026 अंकित करना सुनिश्चित करें।

दिनांक 20.07.2026

(पीठासीन अधिकारी)
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
मुरादाबाद।